मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम
भदभदा रोड भोपाल

क्रमांक / मप्रपुआ.अविनि / शिकायत / 12 47 / 18 / 2018 भोपाल दिनांक 16 / 10 / 2018
प्रति,

श्री कुंवर भीम सिंह सिसौदिया
प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
डी–1 / 2, प्रोफेसर कालोनी
भोपाल म0प्र0

विषयः– मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम के अंतर्गत नियोजित संविदा उपयंत्रियों को नियमित करने के संबंध मे।

संदर्भः– पुलिस मुख्यालय का पत्र क्रमांक / पुमु / शिका / अन्य / 18 / 5074 / दिनाक 27.09.2018 के साथ प्राप्त आपा पत्र क्रमांक 6156 दिनांक 09.09.2017। पी0जी0 आर0 नं0 10130478।

—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराया जाता है कि ''मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यो के लिए राज्य शासन द्वारा प्रावधानित पर्यवेक्षण व्यय 6% की सीमा तक, निर्माण–कार्यो की पर्यवेक्षणीय आवश्यक्ता अनुसार क्रमशः 18 माह के लिए निश्चित संविदा वेतन पर संविदा उपयंत्रियों की संविदा सेवाएँ ग्राह्य की जाती है। यह पद राज्य शासन द्वारा स्वीकृत न होकर कार्पोरशन के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यो की पर्यवेक्षणीय आवश्यक्ता अनुसार निर्धारित पर्यवेक्षण प्रभार के अंतर्गत नियोजन की श्रेणी में आते है। कार्पोरेशन द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए संविदा में नियोजित संविदा उपयंत्रियों को आवश्यक सुविधाएँ एवं संविदा वेतन स्वीकृत किया गया है।

''मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी–5–2 / 2018 / 1 / 3, दिनांक 05 जून 2018 के प्रावधान अनुसार संविदा पदों पर नियोजित इन संविदा उपयंत्रियों को म0प्र0 शासन की संविदा नीति अनुसार अन्य सुविधाएँ, कार्पोरेशन की वित्तीय स्थिति के अनुसार ही, संचालक मंडल के अनुमोदन उपरांत, विचारणीय होगा। किन्तु यह पद नियमित सेवा संवर्ग के नहीं है। अतः इन पदों पर नियोजित संविदा उपयंत्रियों को नियमित किया जाना संभव नहीं है।

16.10.18
(संजय राणा)
विशेष पुलिस महानिदेशक / प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम भोपाल

Scanned by CamScanner